न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 54/2018 जिला– सीकर

1. कालूराम पुत्र गुल्ला, जाति जाट,निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
2. मूलचन्द पुत्र गुल्ला, जाति जाट,निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
3. सागरमल पुत्र साधुराम, जाति जाट,निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
4. मूली देवी बेवा साधुराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
5. ईशरराम पुत्र खेमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।
6. सोनी देवी पत्नी कालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार दांताराभगढ, जिला सीकर ।
2. बनवारी लाल पुत्र गणेशराम ।
3. सुभाष पुत्र गणेशराम

जातियान जाट, निवासी ग्राम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 27.8.2018

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलार्थी
2. श्री सुखराम , वकील रेस्पोडेन्ट ।

निर्णय

दिनांक – 8.1.2020

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.8.2018 के खिलाफ धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :--

यह कि ग्रम बनाथला, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 877, 876, 874, 873, 879 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के

रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ , जिला सीकर को भिजवाते हुये गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने की अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने दिनांक 27.8.2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015—16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज—6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व 16/2619—44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328—53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे :-

चित्रा
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	किस्म भूमि	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है0 में)
1	बनाथला	बनाथला	877	बारानी—4	0.04 हैक्टर
			876	बारानी—4	0.11 हैक्टर
			874	चाही —4	0.06 हैक्टर
			873	चाही —4	0.03 हैक्टर
			879	चाही —4	0.10 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 27.8.18 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.8.18 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट्स खातेदारी भूमि खसरा नं. 877 के काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित है । इस प्रकार अपीलांट प्रभावी एवं हितबद्ध व्यक्ति था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना विवादित भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट प्रभावशाली व राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर प्रेषित की है । अपीलांट की भूमि में मौके पर कोई रास्ता नहीं हैं । उनका कहना था कि अपीलांट की भूमि खसरा नं. 877 में से पूर्व से तीन रास्तों का राजस्व रिकार्ड अर्थात नक्शा ट्रेस में अंकन है । इसके बावजूद तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए खसरा नं. 877 में से फिर एक नया रास्ता कायम करने की विधिक त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में प्रचलित रास्ता 30—40 वर्ष पुराना होने से तहसीलदार द्वारा गैर मुमकिन रास्ता कायम करने हेतु रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत कर अभिशंषा की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक हित में एवं ग्रामवासियों के हित को देखते हुए गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किए हैं , जो उचित एवं विधि सम्मत हैं । उनका कहना था कि मौके पर भूमि खसरा नं. 877/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ते पर सी.सी. सड़क बन चुकी है तथा आगे ग्रेवल सड़क बन चुकी है । उनका यह भी कहना था कि यदि पक्षकारों के मध्य बंटवारे का नियमित वाद विचाराधीन है तो उसमें रास्ता कायम किये जाने का प्रावधान भी बाध्यकारी है । ऐसी सूरत में बंटवारे के साथ ही रास्ते बाबत नियमित वाद विचाराधीन है तो इस तरह की कार्यवाही के जरिये रास्ते को चैलेन्ज करना कतई न्यायोचित नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि में से गैर भुमकिन रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका में अंकित किया है कि ग्राम बनाथला के राजस्व नक्शों को उपस्थित मोतबिरान के समक्ष पुराने समय से प्रचलित रास्तों के कटान बाबत प्रदर्शित किया गया । आमजन द्वारा बनाये गये प्रचलित रास्तों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया । लोगों की आम राय एवं बाद भौतिक सत्यापन निम्नलिखित रास्ते प्रचलित रास्तों के रूप में 30—40

वर्षों से चालू होना पाया गया । उक्त रास्तों से होकर आमजन आवागमन करता है एवं सार्वजनिक आवागमन के रूप में चालू है । उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर भू–अभिलेख निरीक्षक, खाचरियावास द्वारा रास्ता हेतु रिकार्ड में अमल किये जाने बाबत तहसीलदार, दांतारामगढ को रिपोर्ट प्रेषित की तथा तहसीलदार, दांतारामगढ ने पत्र क्रमांकः / भू.अ./2431 दिनांक 9.8.2018 से अधीनस्थ न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित कर विवादित भूमि में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की गई है । तहसीलदार की उक्त अभिशंषा के आधार प्रस्तावित राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं । हम समझते हैं कि विवादित भूमि में प्रचलित रास्ता 30–40 वर्ष पुराना होने एवं रास्ता आमजन के आवागमन हेतु सार्वजनिक रूप से चालू होना बताया गया है । आमजन के लिये सार्वजनिक रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 27.8.18 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर